

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

// विद्युत एवं अन्य उपकरण सामग्री कय हेतु सीमित निविदा आमंत्रण सूचना //

सर्व साधारण को इस विज्ञापित के माध्यम से सूचित किया जाता है कि न्यायिक जिला स्थापना ग्वालियर में विद्युत एवं अन्य सामग्री कय किये जाने हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित फर्म/पंजीकृत संस्थानों से मध्यप्रदेश भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 की कण्डिका 11 के पालन में सीमित निविदा अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन सील बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किया जाना है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

### 1- Vacuum Cleaner and Air Purifier Machine

क्रमांक	कय की जाने वाली सामग्री का नाम	नग संख्या
1	Wet & Dry Vacuum Cleaner Machine Eureka Forbes Model PRO VAC WD 35 Tank Capacity 35 Ltr.	03
2	Commercial Air Purifier (Model No. AEROGUARD 4s)	02

**नोट:-** मशीन के इंस्टोलेशन, सप्लाइ, प्रशिक्षण प्रदाय करने वाली सप्लाइकर्ता द्वारा दिया जायेगा।

### 2- Electricity Material

क्रमांक	कय की जाने वाली सामग्री का नाम	नग संख्या
1	Bajaj Room Heater Double Road (Helozen) Model RHX-2 1000W/ 500W	76
2	Philips Study Lamp (LED) 5wt	48
3	Usha Wall Mountaind Fan Model Stricker 400 mm (16")	42
4	Cona/Girish Wire Less (Remote) Call Bell (100Ft Range)	48


**नोट:-** कंपनी द्वारा दिये जाने वाली गारंटी/वारंटी का स्पष्ट उल्लेख करें।

### 3- Currency Counting Machine

क्रमांक	कय की जाने वाली सामग्री का नाम	नग संख्या
1	Kores 442 Currency Counting Machine	01

**नोट:-** कंपनी द्वारा दिये जाने वाली गारंटी/वारंटी का स्पष्ट उल्लेख करें।

निविदायें दिनांक 23/12/2019 के दोपहर 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। अंतिम दिनांक तक प्राप्त समस्त निविदाएं, निविदाकर्ताओं एवं कय समिति जिला न्यायालय ग्वालियर की उपस्थिति में दिनांक 24/12/2019 को शाम 5.00 बजे जिला न्यायालय ग्वालियर में खोली जावेगी। उक्त निविदा संबंधी शर्तों की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ग्वालियर

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

### निविदा शर्तें

1. फर्म के रजिस्ट्रेशन की जीवित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा जीएसटी, टिन नं. आदि की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
2. सभी प्रकार के करों व क्रय मूल्य का खुलासा तथा सकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में किया जावे।
3. क्रय की गयी सामग्री की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में किया जावेगा, जिसका कोई परिवहन व्यय(भाड़ा) पृथक से देय नहीं होगा।
4. सामग्री इन्स्टॉलेशन उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।
5. मांग का आदेश करने से एक सप्ताह के अंदर सामग्री की प्रदायगी व इन्स्टालेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा क्रय की सामग्री के लिये मांग का आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
6. नियंत्रणाधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।
7. प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।
8. उपरोक्त सामग्री के क्रय की संख्या कम किये जाने अथवा बढ़ाये जाने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को होगा।
9. जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रूप में पंजीकृत है, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
10. प्रदाय की जा रही सामग्री के संबंध में कंपनी द्वारा दी जाने वाली गारंटी/वारंटी का स्पष्ट उल्लेख करें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
ग्वालियर (म0प्र0)